

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय  
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE  
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)  
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं. Au/Admn V/ Strike/2025-26

दिनांक: 13-05-2025

### **CIRCULAR No. 23**

1 . यह संज्ञान में आया है कि कुछ सेवा संघों द्वारा 20.05.2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है।

It has come to notice that a Nationwide strike has been for on 20.05.2025 by some Service Associations.

2 . इस संदर्भ में कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाता है कि ऐसी किसी भी हड़ताल/आंदोलन कार्यक्रम में भाग लेना केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण नियम) 1964 के नियम 7 और उसके अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय (2) के विरुद्ध होगा। यह नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में हड़ताल या जबरदस्ती या शारीरिक दबाव का सहारा नहीं लेगा या किसी भी तरह से इसके लिए उकसाएगा।

In this context it is brought to the notice of the staff that participating in any such strike/ agitational programme would be against the Central Civil Services (Conduct Rules) 1964, vide

Rule 7 and GOI decision (2) there under. This Rule expressly stipulates that no Government servant shall resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his/her service or the service of any other Government servant.

3 . भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "हड़ताल" का अर्थ है काम करने से इंकार करना, कर्मचारियों के एक समूह द्वारा मिलकर काम न करना या काम को रोकना या धीमा करना, तथा इसमें बिना अनुमति के सामूहिक रूप से काम से विरत रहना भी शामिल है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्यालय परिसर में बिना अनुमति के प्रदर्शन/बैठक आयोजित करना सख्त वर्जित है और ऐसी किसी भी बैठक को सीसीएस (आचरण) नियम के नियम 7 का उल्लंघन माना जाएगा। मुख्यालय कार्यालय ने यह भी सूचित किया है कि अब से किसी भी एसोसिएशन को कार्यालय परिसर के भीतर अर्थात् कार्यालय की सीमाओं के भीतर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रदर्शन/बैठक में भाग लेना या हड़ताल में शामिल होना या किसी भी तरह से हड़ताल को बढ़ावा देना गंभीरता से लिया जाएगा।

It has been clarified by Government of India that "Strike" means refusal to

work or stoppage or slowing down of work by a group of employees acting in combination and includes mass abstention from work without permission. The Government of India has also clarified that holding of demonstration/meeting without permission within office premises is strictly prohibited and any such meeting would be treated as a violation of the Rule 7 of the CCS (Conduct) Rules. Headquarters Office has also intimated that henceforth no permission will be granted to any Association to hold demonstrations within the office premises i.e within the boundaries of the Office. **Any Government servant engaging himself or participating in any demonstration/meetings in violation of the instructions and/or resorting or in any way abetting any form of strike will be viewed seriously.**

4. इस संबंध में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिना अनुमति के काम से विरत रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा एफआर 17 (1) और एफआर 17 (ए) के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त हड़ताल/आंदोलन कार्यक्रम में भाग लेने से बचें।

In this connection, it may also be noted that abstention from work without permission is also liable to be dealt with under the provisions of the proviso to FR 17 (1) and FR 17 (A) in addition to disciplinary action. Therefore, all the staff members are advised to refrain from participating from the above said strike/agitational programme.

5. छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे हड़ताल की प्रस्तावित अवधि अर्थात् दिनांक **20.05.2025** को अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत न करें। यदि छुट्टी के लिए आवेदन किसी ऐसे कारण से किया जाता है, जिसका औचित्य सिद्ध हो और जिसका समर्थन साक्ष्यों से हो, तो इसे उप महालेखाकार (प्रशासन) द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। शाखा अधिकारियों को हड़ताल के दिनों में सुबह **10.00** बजे और शाम **04.00** बजे अपने अधीन अनुभागों/फील्ड पार्टियों में कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच करनी है और संबंधित का. स्था. (प्रशासन) को संलग्न प्रपत्र में उपस्थिति की स्थिति की रिपोर्ट देनी है, जिसमें उन अधिकारियों के नाम भी शामिल हों, जो छुट्टी पर उपस्थित नहीं थे। सुबह **10.30** बजे और शाम **4.30** बजे फील्ड पार्टियों की रिपोर्ट मुख्यालय अनुभाग द्वारा समेकित की जा सकती है और का. स्था. (प्रशासन) को भेजी जा सकती है।

Leave sanctioning authorities are instructed not to sanction any kind of leave for the proposed period of Strike i.e. on 20.05.2025 to the officers/staff working under them. If the leave is applied for on compelling reasons to be justified and supported by evidence, this should be sanctioned by Deputy Accountant General (Administration). Branch Officers are to check the attendance of the staff in the Sections/Field Parties under their control at **10.00AM** and **04.00PM** on the days of Strike and report the position of attendance in the proforma enclosed, specifying the names of officials who were not present for duty to concerned OE (Admn), at **10.30 AM** & **4.30 PM**. Report of the Field

Parties may be consolidated by Headquarters Section and sent to OE (Admn.)

(महालेखाकार के दिनांक 08.05.2025 के आदेशानुसार)  
(Vide Orders dated 08.05.2025 of Accountant General)

**उप महालेखाकार (प्रशा.)**  
**Deputy Accountant General (Admn.)**

- 1 मुख्य /शाखा कार्यालयों के सभी समूह अधिकारीगण/शाखा अधिकारीगण/All Group Officers/Branch Officers in Main / Branch Offices.
2. मुख्य /शाखा कार्यालयों के सभी अनुभाग/All Sections in Main / Branch Offices.
3. आरएओ/RAOs
4. सूचना पट्ट/Notice Board.